(43)

न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–भिण्ड

नारायण सिंह पुत्र श्री देवी सिंह,
निवासी ग्राम चितावलिया खेड़ा, तहसील तराना, जिला – उज्जैन (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1. ईश्वरसिंह पुत्र श्री उदयसिंह राजपूत
2. उदयसिंह पुत्र श्री देवीसिंह,

निवासीगण ग्राम चितावलिया खेड़ा, तहसील तराना, जिला – उज्जैन (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

द्वारा आज दि. 26.5.16 को प्रस्तुत

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तराना, जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 12 /2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.04.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

26/5/16

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अंनुविभागीय अधिकारी, तराना का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तराना द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

(3) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तराना द्वारा उपरोक्त अपील प्रकरण में धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया है, जबकि उनके समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील स्पष्टतः अवधि वाह्य थी, जिसके संबंध में कोई प्रर्याप्त कारण नहीं दिये गये थे, ऐसी स्थिति में बिलम्ब क्षमा किये जाने में अपीलीय न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की गयी है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है।

(4) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तराना के समक्ष आवेदक द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पत्र का जबाव तथा प्रति

नारायणसिंह / ईश्वरसिंह

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(56)

(43)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 1651/PBR/16 जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधि. तराना के प्रकरण क्रमांक 12/15-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 27.4.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर, उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	